महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

महिलाओं एवं बच्चों के समुचित विकास तथा उनसे सम्बन्धित योजनाओं को विस्तृत रूप देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग दृढ़ संकल्पित है। विभाग द्वारा राज्य व केन्द्र स्तर पर सीधे नियन्त्रण में तथा इसके संरक्षण में कार्य कर रहे हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, हरियाणा महिला आयोग तथा हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को वित्तीय सहायता देकर तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई गई।

सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह शान से रह सकें और वह हिंसा एंव भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रकिया में बराबरी का योगदान दे सके। बच्चें हमारे समाज का भविष्य है। बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण में विकास की पूर्ण सुविधाओं में पले बढें बच्चे एक स्वस्थ राष्ट् बनाते है । इसलिए नितियों की पहल और कार्यक्रमों, बच्चों के अधिकारों बारे जागृति फैलाने, और उनकी शिक्षा, पोषाहार, संस्थात्मक सहायता आदि के माध्यम से बच्चों का विकास देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना विभाग की र्स्वोच्च प्राथमिकता है ।

बजट व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के वर्ष 2016–17 के मूल बजट में कुल 1227.85 करोड़ रू0 की राशि की व्यवस्था की गई, जिसमें से 549.81 करोड़ रू0 स्टेट प्लान तथा 456.94 करोड़ रू0 सैंट्रल प्लान तथा 221.10 करोड़ रू0 नान प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गये। विभाग का संशोधित बजट 1009.66 करोड़ रू0 था, इसमें से 463.77 करोड़ रू0 स्टेट प्लान, 326.34 करोड़ रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 219.55 करोड़ रू0 नान प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गए।

वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा स्टेट प्लान के अन्तर्गत 365.15 करोड़ रू0, सैन्ट्रल प्लान के अंतर्गत 243.61 करोड़ रू0 तथा नॉन प्लान के अन्तर्गत 214.31 करोड़ रू0 अर्थात कुल 823.07 करोड़ रू0 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किए गए। वर्ष 2016–17 के दौरान बजट व्यवस्था एवं व्यय विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है।

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम/योजनाएं : –

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को जिला पानीपत, हरियाणा से किया गया। जिसका उद्देश्य लडकियों के जन्म के प्रति सकारात्मकता, शिक्षा और पोषण देने के लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना है।

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप अच्छे नतीजे सामनें आये है और अन्य राज्यों के लिए रोल माडल बन गये। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारो ने हरियाणा सरकार को अपनी सफलता कहानियां दिखाने तथा अपने अधिकारियों को उत्साहित करने हेतू हरियाणा सरकार को निमंत्रित किया। 2011 की जनगणना अनुसार लिग अनुपात 830 था जो बढ़कर 940 तक पहुँच गया है। लिंगानुपात

में सुधार के फल स्वरूप पहचान देने हेतू भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार को दिनांक 8.3.2016 को राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिला यमुनानगर को बालिका शिक्षा क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दिनांक 21.1.2017 को भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये सामुदायिक, सामाजिक तथा गैर सरकारी संस्थाओं को एक ही मंच पर एकत्रित करने के लिये निम्न कदम उठाये गये :–

1. 56407 जागरूकता रैलियां निकाली गई।
2. 471937 लड़कियों के जन्म दिवस पर लोहडी कार्यक्रम मनाया गया
3. 8026 विभिन्न गतिविधियां जैसे कि नुक्कड नाटक का आयोजन किया गया।
4. 21003 गुडडा–गुडडी बोर्ड मे लगाये गये ।
5. 5803 फिल्मों का आयोजन किया गया ।
6. 39937 प्रभात फेरियां निकाली गई।
7. 8483 कठपुतली शो आयोजित किये गये।
8. 50125 हस्ताक्षर अभियान बोर्ड लगाये गये।
9. 92371 स्वास्थय कैम्प / बेबी शो का आयोजन किया गया।
10. बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ, पर डाक्टरों, पंचायती राज के सदस्यों, गैर सरकारी संस्थाओं, साक्षर महिला समूह, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिये orientation कार्यक्रंम का आयोजन किया गया। राज्य स्तर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर लाभप्राप्तकताओं के लिये विभिन्न प्रशिक्षण, संवेदना तथा आपसी चर्चा तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
11. गर्भवती महिलाओं की डायरेक्ट्री तैयार की गई और 80,000 गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ्य एंव पौषाहार विषयों पर एस0एम0एस0 किए गए।
12. पी. एस. आई. के सहंयोग से Gender Based Violence and Support Service विषय पर प्रशिक्षको का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।
13. विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित जो योजनाएं चलाई जा रही है, का एक सग्रह तैयार किया गया ।
14. कार्य स्थल पर यौन पीड़ित महिलाओं पर सरकारी एंव गैर सरकारी संस्थानो के लिए राज्य स्तर पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
15. महिलाओं के स्वच्छता पहलू को ध्यान में रखते हुए महिला एंव बाल विकास, स्वास्थ्य एंव शिक्षा विभाग के प्रशिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जोकि जिला स्तर तथा ब्लाक स्तर पर जन संचार एंव जागरूकता के लिए प्रशिक्षण देगें।
16. घरेलू हिंसा एंव यौन उत्पीड़ित महिलाओं के अस्तीत्व के संकट हस्तक्षेप से सम्बधित तकनीको पर मुम्बई में परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।

- एक कदम आगे बढ़ाते हुए किशोरियों की व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी गई, जो जिला व खण्ड स्तर पर किशोरियों को इस बारे जागरूक करेंगे।
- लिंग आधारित हिंसा व संबंधित अधिनियमों की जागरूकता हेतु राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन।
- जिला व खण्ड स्तर पर जिला परिषद मैम्बरों, सरपंचों व पंचों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।

  योजना के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2016–17 के लिए 1000.00 लाख़ रु0 की राशि का प्रावधान किया गया और 306.35 लाख रू0 की राशि खर्च की गई।

राज्य सरकार द्वारा किये उक्त प्रयासो से लिंग अनुपात में सुधार हुआ है और जिलावार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	जिले का नाम	लिंग अनुपात जनवरी 2015	लिंग अनुपात जनवरी 2016	मार्च 2017
1.	अम्बाला	942	872	921
2.	भिवानी	845	848	912
3.	फतेहाबाद	903	942	923
4.	फरीदाबाद	823	947	941
5.	गुडगांव	1008	854	816
6.	हिसार	899	926	898
7.	जींद	956	895	905
8.	झज्जर	799	912	937
9.	कैथल	877	908	896
10.	कुरुक्षेत्र	831	896	924
11.	करनाल	916	912	926
12.	नारनौल	800	851	946
13.	पानीपत	952	893	907
14.	पंचकूला	881	892	909
15.	पलवल	910	891	870
16.	रोहतक	871	872	943
17.	रिवाड़ी	682	889	870
18.	सिरसा	949	965	1030
19.	सोनीपत	816	921	880
20.	यमुनानगर	850	881	932
21.	मेवात	974	935	946
.	राज्य (औसत)	882	902	914

2. आपकी बेटी हमारी बेटी

घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए ''आपकी बेटी – हमारी बेटी'' योजना 22.01.2015 से लागू की गई। पूर्व से चलाई जा रही ''लाडली'' योजना को आपकी बेटी हमारी बेटी में समायोजित किया गया है। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21000/– रू0 तथा सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21000/– रू0 की राशि दी जाती है। यह राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में एकमुश्त जमा करवाई जाती है तथा बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण व अविवाहित होने पर लगभग 1.00 लाख रू0 उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत परिवार में 24.08.2015 को या इसके बाद जन्मी तीसरी बेटी को भी दूसरी बेटी के तर्ज़ पर कवर किया जायेगा। वर्ष 2016–17 के दौरान 93786 बालिकाओं को जिनमें 2012–13 से 2016–17 तक के लाभपात्र भी शामिल हैं, को लाभ प्रदान किया गया। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 11800.00 लाख रू0 की राशि का रिवाईज्ड बजट में प्रावधान किया गया, जिसमें से 11775.37 लाख रू0 की राशि व्यय की गई।

3. हरियाणा कन्या कोष

''हरियाणा कन्या कोष'' राज्य में बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। इस कोष का उद्‌देश्य है कि बालिकाओं के लिये एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो, जहां उन्हें विकास व सशक्तिकरण के समान अवसर मिलें। इस कोष को बालिकाओं के कल्याण एवं अन्य लड़कियों के विकास व उन्नति के लिये उठाये जाने वाले कदमों के लिये प्रयोग किया जायेगा। इस कोष की गतिविधियों के लिए राशि दान, नकद एवं सरचार्ज के माध्यम से प्राप्त की जाती है। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय गर्वनिंग कमेटी तथा एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया। अब तक इस कोष के अन्तर्गत 69.41 लाख रू0 की राशि जमा हो चुकी है तथा कोष के नाम से ''बैंक ऑफ इन्डिया'' में खाता भी खोला जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ''हरियाणा कन्या कोष सोसायटी'' में दान देने हेतु आम लोगों तथा संस्थाओं से समाचार पत्रों के माध्यम से अपील की गई है। हरियाणा कन्या कोष के पंजीकरण प्रमाण पत्र पर आयकर विभाग द्वारा 12AA Section के तहत छूट दी गई है।

4. सुकन्या समृद्धि खाता योजना

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत में ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर ''सुकन्या समृद्धि खाता'' योजना की शुरूआत की गई। इस योजना का उद्‌देश्य असंतुलित लिंगानुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। योजना के तहत वर्ष 2015 से मार्च 2017 तक 3,51,963 बालिकाओं के खाते डाकघरों में खुलवाये जा चुके हैं।

5. महिलाओं के लिये ''वन स्टॉप केन्द्र'' की स्थापना

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्व तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्‌देश्य से वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य में महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र 'सखी' की स्थापना महिला आश्रम, करनाल में की गई है। स्कीम के अन्तर्गत राज्य में मार्च 2017 तक कुल 315 केसों का निपटान किया गया। उपरोक्त के अलावा वन स्टॉप केन्द्र जिला गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, रिवाड़ी, भिवानी व नारनौल में भी स्थापित किये जा चुके हैं।

विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाएं

1. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना सरकार की प्रमुख योजना है। जिसका उद्‌देश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्यु दर, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। समेकित बाल विकास सेवायें योजना 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 परियोजनाओं में 25962 आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से चलाई जा रही हैं ।

योजना के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सर्वागिण विकास एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15–45 वर्ष आयु की अन्य महिलाओं को पूरक पौषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पौषाहार शिक्षा तथा 3 से 6 साल के बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा की सेवाएं समेकित रूप से प्रदान की गई । आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	जिले का नाम	आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों की संख्या	आगंनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
			स्वीकृत	कार्यरत
1	अम्बाला	7	1213	1213
2	भिवानी	12	1916	1916
3	फरीदाबाद	6	1294	1294
4	गुड़गांव	6	1033	1033
5	हिसार	10	1741	1741
6	जीन्द	9	1439	1439
7	कुरूक्षेत्र	6	1075	1075
8	करनाल	7	1482	1482
9	नारनौल	6	1201	1201
10	पानीपत	6	1045	1045
11	पंचकुला	4	534	534
12	रोहतक	6	1004	1004
13	रेवाड़ी	6	1099	1099
14	सोनीपत	9	1482	1482
15	सिरसा	8	1377	1377
16	यमुनानगर	7	1281	1281
17	फतेहाबाद	6	1094	1094
18	झज्जर	7	1130	1130
19	कैथल	7	1264	1264
20	मेवात	7	1150	1150
21	पलवल	6	1108	1108
	कुल	148	25962	25962

जिलावार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(मार्च, 2017 की स्थिति)

क्र.स.	जिला का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता		आंगनवाड़ी सहायिका	
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	अम्बाला	1213	1206	1168	1162
2.	भिवानी	1916	1902	1884	1869
3.	फरीदाबाद	1294	1271	1279	1232
4.	गुड़गांव	1033	1029	1024	1016
5.	हिसार	1741	1724	1721	1678
6.	जीन्द	1439	1430	1434	1415
7.	कुरूक्षेत्र	1075	1027	1044	1010
8.	करनाल	1482	1477	1457	1440
9.	नारनौल	1201	1185	1195	1163
10.	पानीपत	1045	1040	1040	1028
11.	पंचकुला	534	516	401	387
12.	रोहतक	1004	1002	1000	986

13.	रेवाड़ी	1099	1089	1082	1074
14.	सोनीपत	1482	1464	1480	1453
15.	सिरसा	1377	1073	1346	1280
16.	यमुनानगर	1281	1274	1245	1234
17.	फतेहाबाद	1094	1092	1077	1068
18.	झज्जर	1130	1120	1123	1096
19.	कैथल	1264	1251	1242	1207
20	मेवात	1150	1098	1120	1068
21	पलवल	1108	1077	1088	1025
	कुल	25962	25347	25450	24891

राज्य की 148 परियोजनाओं में 25962 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुल लाभार्थी जिसके अन्तर्गत 9.24 लाख छः मास से छः वर्ष आयु तक के बच्चों जिसमें 449296 लड़कियां हैं तथा 133744 गर्भवती महिलाओं एवं 143713 दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौषाहार दिया गया।

आगंनवाड़ी केन्द्रों के 0–6 वर्ष के 473010 बच्चों को पोलियो व डी.पी.टी, 439627 बच्चों को बी.सी. जी., 460407 बच्चों को खसरे से बचाव के टीके तथा 388706 गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके लगवाए गए। वर्ष के दौरान 3 से 6 वर्ष के 318160 बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया।

i) पूरक पौषाहार

राज्य सरकार द्वारा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को 600 कैलोरीज तथा 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चों को 500 कैलोरीज तथा 12–15 ग्राम प्रोटीन तथा अत्याधिक कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरीज तथा 20–25 ग्राम प्रोटीन 6 रू0 प्रति बच्चा, 7 रू0 प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता तथा 9 रू0 प्रति अतिकुपोषित बच्चे की दर से पूरक पौषाहार (जिसमें निर्धारित नार्मज के अनुसार पोषक तत्व शामिल है) उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2016–17 में 9.24 लाख बच्चों तथा 2.77 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पौषाहार के अन्तर्गत कवर किया गया।

पूरक पौषाहार में खाने के लिए तैयार पौषाहार जैसे पंजीरी, भरवा पराठा, आलू पूरी, मीठे चावल, मीठा दलिया खिचड़ी, गुलगुले, चना मुरमुरा, मुंगफली मिक्सचर इत्यादि वितरित किये गये। खाद्य सामग्री तैयार करवाने के लिए हैफड से खाद्य तेल व भारत सरकार से बी0पी0एल0 रेट पर चावल तथा गेंहू व राष्ट्रीय लघु उद्योग लि. से डबल फोरटीफाईड नमक तथा अन्य खाद्य सामग्री जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा खरीदने उपरान्त मदर ग्रुप के माध्यम से तैयार करके 06 मास से 3 वर्ष तक के बच्चों एवं माताओं को टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दो बार राशन सुबह स्नैक सहित वितरित किया गया। खाद्य सामग्री तैयार करने वाले मदर ग्रुप को उक्त वित्तीय नार्मज में से 1.60 रूपये प्रति लाभपात्र प्रति दिन मजदूरी, ईधन, पिसाई इत्यादि के लिए दिया गया ।

ii) 0 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों का आधार नामांकनः–

विशेष अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों का UIDAI के सौजन्य से व जिला प्रशासन तथा महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से 0–6 वर्ष के 21.46 लाख बच्चों का आधार पंजीकरण किया गया।

iii) पंजीरी प्लांटः–

राज्य में 2 पंजीरी प्लांट गुड़गांव तथा घरौण्डा में चलाये जा रहे हैं, जिनमें समेकित बाल विकास सेवायें योजना के लाभपात्रों के लिए पौष्टिक पंजीरी तैयार की जाती है। इन पंजीरी प्लांटों में वर्ष 2016–17 में कुल 15657.02 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया।

पंजीरी प्लांट गुड़गांव में 6555.32 क्विंटल पंजीरी तथा घरौण्डा में 9101.70 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया। वर्ष 2016–17 में पंजीरी प्लांट, गुड़गांव 210 दिन तथा घरौण्डा प्लांट 267 दिन चालू रहा।

iv) साक्षर महिला समूह

साक्षर महिला समूहों द्वारा गांव में मुख्य मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पौषाहार शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं व बालिकाओं एवं बच्चों व ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे चेतना जागृत की गई। वर्ष 2016–17 में 5899 साक्षर महिला समूहो पर 15.00 लाख रू0 व्यय किए गए।

v) दिवस एवं सप्ताह

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य में स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पौषाहार सप्ताह, बाल दिवस एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि मनाए गए। 1–7 अगस्त 2016 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था। इस अवसर पर गांव व ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य अमले के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान के बारे में प्रचार किया गया। 1–7 सितम्बर, 2016 तक राष्ट्रीय पौषाहार सप्ताह मनाया गया था। इस अवसर पर अच्छे भोजन के बारे में गांव स्तर पर कैम्प लगा कर तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्लोगन प्रतियोगिता, कम मूल्य की रैस्पी, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं व बच्चों की पौषाहार आवश्यकता बारे प्रचार किया गया।

vi) आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय

वर्ष 2016–17 के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना पर किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(लाख रू0 में)

योजना	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल
आई.सी.डी.एस.	9331.38	13298.94	19725.71	42356.03
पूरक पौषाहार	6299.26	6299.26	178.23	12776.75
कुल	15630.64	19598.20	19903.94	55132.78

vii) आंगनवाडी कार्यकर्त्री बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आंगनवाडी कार्यकर्ताओं तथा हैल्परों के लिए बीमा योजना का संचालन किया गया। यह योजना 18–59 आयु वर्ग की आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व हैल्परों के लिए 2013 तक निःशुल्क थी। वर्ष 2016–17 में 91 लाभपात्रों को प्राकृतिक मृत्यु के कारण 28.65 लाख रू0 की राशि प्रदान की गई । इसके अतिरिक्त 425 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को 5.10 लाख रू0 की राशि वजीफे (स्कॉलरशीप) के रूप में प्रदान की गई।

viii) सुरक्षित भविष्य योजना

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों तथा हैल्परों के कल्याण हेतु सुरिक्षत भविष्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 612.82 लाख रूपये की राशि व्यय की गई तथा 48599 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व हैल्पर को लाभ प्रदान किया गया ।

ix) आई.सी.डी.एस. कार्यकताओं हेतू प्रशिक्षण प्रोग्राम

आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एक नियमित गतिविधि है तथा प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में कुल 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है जिनमें से 8 हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा तथा दो प्रशिक्षण केन्द्र ''कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि'' द्वारा रादौर में चलाए जा रहे हैं। वूमैन एवैयरनैस एण्ड मैनेजमैंट अकादमी (वामा), राई जिला सोनीपत के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 सुपरवाईजरों के लिए एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में 292 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 141 सुपरवाईजरों को कार्य प्रशिक्षण, 386 सहायिकाओं को ओरियन्टेशन कोर्स तथा 100 सुपरवाईजरों, 3888 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, 5303 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलवाया गया। विभाग के द्वारा नियमित प्रशिक्षण गतिविधियों हेतू 270.51 लाख रूपये जारी किये गये जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	संस्था का नाम	राशि ;लाख रूपए में द्ध
1.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़	199.51
2.	कस्तूरबा गांधी नैशनल मैमोरियल ट्रस्ट, रादौर I व II	54.00
3.	मिडल लेवल ट्रेनिंग सैन्टर, वामा, राई, (सोनीपत)	17.00
	कुल	270.51

2. आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण

सरकार द्वारा बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना चलाई गई। सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपने भवनों में चलाये जाने से महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की लिये इसे मिशन मोड में लागू किया गया है तथा 9.95 लाख रू0 प्रति आगंनवा़डी केन्द्र की दर से भवन निर्माण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 1339 आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूरा करने के लिए 103.20 करोड़ रू0 की राशि जारी की गई जिस में से 70.80 लाख रू0 की राशि खर्च की गई है वर्तमान में 5834 आंगनवाड़ी केन्द्र अपने भवनों में चल रहे हैं।

आँगनवाड़ी केन्द्रों की लोकेशन

कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र	सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र				गैर सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र		
	विभागीय भवनों में	सरकारी भवनों में	स्कूलों में	कुल	समुदायिक / गैर सरकारी (बिना किराये) भवनों में	गैर सरकारी / किराये के भवनों में	कुल
25962	5834	2458	1172	9464	9954	6544	16498

3. गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतू ऑप्रेशन मुस्कान

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा तथा पुलिस विभाग को संयुक्त प्रयासों से राज्य में गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु ऑप्रेशन मुस्कान चलाया गया। गुमशुदा बच्चे जोकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, बाजार, अस्पताल, ढाबे, भटठों, धार्मिक स्थानों तथा सड़को आदि पर रहते है की पहचान करके उन्हें उनके माँ–बाप या संरक्षक को सौंपा जाता है। राज्य में 4314 गुमशुदा बच्चों की पहचान की जा चुकी है जिसमें से 3840 बच्चों को उनके मॉ–बाप या संरक्षक को सौंपा जा चुका है।

4. अनाथ एवं एकल अभिभावक बच्चों का सर्वेक्षण

0–18 वर्ष के अनाथ एवं एकल अभिभावक वाले बच्चों को आर्थिक अनुदान प्रदान करने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण किया गया। जिसमें 1.25 लाख परिवारों में रह रहे 2.23 लाख अनाथ/एकल अभिभावक वाले बच्चों की पहचान की गई और उनके नाम आधार नं0, फोटोग्राफ व अभिभावक के मोबाईल नं0 के साथ कम्पयूटर में दर्ज किए गए जिससे सामाजिक न्याय विभाग व शिक्षा विभाग को आंकड़ा उपलब्ध करवा कर बच्चों को सशक्त किया जा सकेगा।

5. यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012

राज्य सरकार यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012 को लागू करने के लिए वचनबद्ध है ताकि बच्चो को एक रक्षात्मक वातावरण प्रदान किया जा सके। इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जागरूकता हेतु प्रचार किया जा रहा है। हरियाणा राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसमें बडे पैमाने पर सार्वजनिक शिवरों, रेडियों जिंगल तथा सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में यौन अपराध अधिनियम से सम्बन्धित विज्ञापन का वितरण तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान 2594 जागरूकता शिवरों का आयोजन किया गया जिनमें 3,72,362 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में केसों को शीघ्र निपटाने हेतू जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट व चिल्ड्रन कोर्ट/स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया गया।

6. किशोरी शक्ति योजना

समाज में किशोरियों के स्वास्थ्य स्तर, सामाजिक एवं पोषण स्तर को सुधारने एवं उनके स्वास्थ्य स्वच्छता तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने एवं विशेष रूप से 11–18 वर्ष की आयु किशोरियों में व्याप्त पोषण, अरक्तता को दूर करने के उद्देश्य से राज्य के 14 जिलों क्रमंशः भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगांव, झज्जर, जीन्द, करनाल, कुरूक्षेत्र, मेवात, नारनौल, पलवल, पंचकूला, पानीपत, सिरसा व सोनीपत के 87 आई0सी0डी0एस0 प्रोजैक्टों में चलाई गई। स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 मास के लिए 20 किशोरी बालिकाओं का 1573 बालिका मण्डल बनाकर प्रदान की गई। लड़कियों को 5.00 रू0 प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पौषाहार भी दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 47,4.50 लाख रू0 का प्रावधान किया गया जिसमें से 311.56 लाख रू0 पूरक पौषाहार पर राज्य सरकार के हिस्से के रूप में व्यय किये गये। योजना के अन्तर्गत 54,841 बालिकाओं को पूरक पौषाहार और 56,919 बालिकाओं को गृह आधारित कुशलताओं पर प्रशिक्षण देने के साथ–2 स्वास्थ्य, स्वच्छता, पौषाहार एवं बाल देखभाल आदि के ज्ञान से सुसज्जित किया गया।

7. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

यह योजना 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में चलाई गई। इस योजना से किशोरी बालिकाओं को अपनें विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पौषाहार, प्रजनन, बाल देख–रेख के प्रति जानकारी में सक्षम किया गया तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को ओपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की गई। योजना के अर्न्तगत पौषाहार के तहत 1,65,136 बालिकाओं को लाभ दिया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2016–17 में 1133.69 लाख रू0 खर्च किए गए।

8. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, इस योजना के तहत खर्चा 60:40 प्रतिशत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह परियोजना सर्वप्रथम पंचकूला जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दूध पिलाने वाली महिला को 6000/–रू0 की राशि दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त तीसरी तिमाही में तथा दूसरी किस्त छः महीने प्रसव के बाद मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष शर्तो को पूरा करने उपरान्त दी जाती है।

गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को देय राशि हस्तांतरित किए जाने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 200 एवं 100 रू0 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

वर्ष 2016–17 में 10,936 लाभप्राप्तकर्ताओं को (किस्तों के आधार पर) कवर किया गया। इनमें से 3806 लाभप्राप्तकर्ताओं को पूर्ण लाभ देते हुए 270.38 लाख रू0 की राशि व्यय की गई ।

9. राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग

राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पंचकूला में है। आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने बारे कार्य किये गये।

10. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य संरक्षण समिति के माध्यम से चलाया गया। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। राज्य स्तर पर राज्य परियोजना खेल इकाई की स्थापना की गई। बाल देखरेख संस्थानों का उचित मूल्यांकन तथा नियमित निरीक्षण हेतु जिला स्तर तथा राज्य स्तर निरीक्षण कमेटियों को अधिसूचित किया गया। जिला स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा 385 तथा राज्य स्तर की कमेटियों द्वारा 126 निरीक्षण किये गये। किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा पोक्सो एक्ट 2012 विषय पर डिविजनल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। विभाग द्वारा बाल कल्याण संस्थानो में रह रहें संवासियों को अर्न्तराष्ट्रीय क्राफट मेला सूरजकुंड फरीदाबाद का विजिट करवाया गया। राज्य में कुल 78 बाल देखरेख संस्थायें स्वैच्छिक सस्थाओं द्वारा चलाई गई। राज्य सरकार द्वारा बच्चो तथा महिलाओ की देख रेख एवं संरक्षण के लिए निम्न होम/गृह चलाये गयेः–

i) निरीक्षण गृहः– किशोर न्याय मण्डल के माध्यम से किशोर न्याय प्रणाली में आने वाले कानूनी रूप से विवादित बच्चों को उनके विरूद्ध जांच के दौरान पर्याप्त आवासीय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है, जोकि किशोर न्याय बोर्ड बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत की जा रही है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बच्चों को अस्थाई रूप से रखने के लिए विभाग द्वारा अम्बाला, हिसार एवं फरीदाबाद में तीन निरीक्षण गृह बालकों के लिए हैं तथा एक निरीक्षण गृह बालिकाओं के लिए जो कि करनाल में है स्थापित किये गये हैं। इन निरीक्षण गृहों की स्थापना तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

ii) विशेष गृहः– किशोर न्याय मण्डल (Juvenile Justice Board) द्वारा कानून के साथ विवादित बच्चों को लम्बे समय तक पुनर्वास एंव संरक्षण देने के लिए संस्थागत सेवाओं की आवशकयता होती है। इन बच्चों को ग्रहण करने तथा इन्हें पुनर्वास देने के लिए विभाग द्वारा 50 बच्चों की क्षमता का एक विशेष गृह (जिला सोनीपत में) स्थापित किया गया है। इनकी स्थापना तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

iii) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे गृह

(क) आश्रय गृह रिवाड़ी तथा छछरौली

आश्रय गृह रिवाड़ी में संवासियों की क्षमता 25 तथा छछरौली में संवासियों की क्षमता 50 है जिसके विरूद्व वर्ष 2016–17 में रिवाड़ी में 10 तथा छछरौली में 36 संवासियों को प्रवेश दिया गया। आश्रम गृह रेवाडी को वर्ष 2016–17 में नान प्लान के अर्न्तगत 2.70 लाख रू0 और प्लान के अर्न्तगत 12.02 लाख रू0 सहायक अनुदान दिया गया । इसी प्रकार आश्रम गृह छछरौली को नान प्लान में 5.40 लाख और प्लान में 27.72 लाख रू0 सहायक अनुदान दिया गया ।

(ख) बाल गृह रिवाड़ी तथा छछरौली

बाल गृह रिवाड़ी में 50 संवासियों तथा बाल गृह छछरौली में 100 संवासियों की क्षमता के विरूद्व वर्ष 2016–17 में बाल गृह रिवाड़ी में 24 तथा बाल गृह छछरौली में 68 संवासियों को प्रवेश दिया गया। बाल गृह रेवाडी को वर्ष 2016–17 में नान प्लान के अर्न्तगत 5.40 लाख रू0 और प्लान में 23.34 लाख रू0 सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार बाल गृह छछरौली के लिए नान प्लान के अर्न्तगत 10.80 लाख रू0 और प्लान के अर्न्तगत 39.54 लाख रू0 सहायक अनुदान दिया गया आश्रय गृह छछरौली को 15.40 लाख रू0 और रिवाड़ी को वर्ष 2016–17 में 2.70 लाख रूपयें का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।

राज्य के प्रत्येक जिले में संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में ''बाल कल्याण समितियां'' गठित की गई है जो उपेक्षित बच्चों के मामलों में विचार करके उन्हें आश्रय गृह छछरौली/रिवाड़ी में प्रवेश हेतु भेजते है। राज्य में निम्न स्वैच्छिक संस्थाओं को बच्चों को गोद लेने हेतु प्लेसमेंट एजैन्सी के तौर पर अधिसूचित किया गया है :–

1. हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्, चण्डीगढ़ – बच्चों को देश/विदेश में गोद देने हेतू।
2. बाल ग्राम राई, सोनीपत – देश में गोद देने हेतू।
3. दत्तक ग्रहण एजेन्सी, फरीदाबाद–देश में गोद लेने हेतू।

(क) निराश्रित एवं अनाथ बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल स्कीम

निराश्रित एवं अनाथ बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं के निराश्रित एवं अनाथ बच्चों के रख–रखाव तथा प्रशासकीय खर्चे हेतु सहायक अनुदान की राशि प्रदान की जाती है । अर्ध सरकारी संस्थाओं के निराश्रित एवं अनाथ बच्चों के लिए 90 प्रतिशत सहायता राशि सहायक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत खर्चा संस्थाओं द्वारा स्वंय वहन किया जाता है। सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं के बच्चों के रख–रखाव हेतु 1000/– रूपये प्रतिमास प्रति बच्चा नान प्लान स्कीम से सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

अप्रैल, 2010 से भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई0सी0पी0एस0)लागू किया गया । योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया गया । समेकित बाल संरक्षण स्कीम लागू होने के कारण वर्ष 2013–14 से स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाने लगा। वर्ष 2016–17 में स्वैच्छिक/सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं को 4,69,34,428/- रूपये की सहायक अनुदान राशि स्वीकृत की गई ।

(ख) बाल ग्राम राई, सोनीपत

बाल ग्राम राई सोनीपत में अनाथ, बेसहारा एवं गुमशुदा 0–21 वर्ष तक की लड़कियों को रखे जाने का प्रावधान है। इस संस्था में लड़कियों को उनका पालन–पोषण, शिक्षा, खा़द्य सामग्री, वस्त्र, जूते, चिकित्सा प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलीफोन बिल, बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतु सहायक अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में इस संस्था को राज्य सरकार द्वारा नॉन प्लान बजट से बच्चों के रख–रखाव हेतु अनुदान 9,60,000/–रूपये तथा आई0सी0पी0एस0 प्लान बजट से 29ए77ए040६ लाख रूपये का सहायक अनुदान रिलीज किया जा चुका है तथा संस्था के प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलीफोन बिल,बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतु 35.00 लाख रूपये का सहायक अनुदान स्वीकृत ंकिया गया ।

(ग) हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन, करनाल

हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन करनाल में अनाथ एवं बेसहारा 7–18 वर्ष तक के लड़को को रखे जाने का प्रावधान है। बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा, वस्त्र, जूते, चिकित्सा प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, यात्रा खर्च, टेलीफोन बिल ,बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतु सहायक अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में इस संस्था को राज्य सरकार द्वारा नॉन प्लान बजट से बच्चों की रख–रखाव हेतु अनुदान 06,84,000/–रूपये तथा आई0सी0पी0एस0 प्लान बजट से 19ए57ए600६ लाख रूपये का सहायक अनुदान रिलीज किया जा चुका है तथा संस्था के प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलीफोन बिल, बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतु 30.00 लाख रूपये का सहायक अनुदान स्वीकृत ंकिया गया । वर्ष 2016–17 में 57 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया गया।

11. ग्रामीण किशोरी बालिकाओं को पुरस्कार

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना चलाई गई । इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को क्रमशः 2,000/–रु0,1,500/–रु0 व 1,000/–रु0 एंव बारहवीं की परीक्षा में क्रमशः 3,000/–रु0,2,500/–रु0 व 2,000/–रु0 पुरस्कार में दिए जाते थे । इस योजना के तहत दिए जाने वाली राशि को बढाया गया है जो कि निम्न प्रकार से है:–

कक्षा	पुरस्कार राशि		
	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार
मैट्रिक कक्षा	8000/–	6000/–	4000/–
10+2 कक्षा	12000/–	10000/–	8000/–

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 60.48 लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 756 बालिकाओं को पुरस्कार दिए गए।

12. शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार हेतू वर्ष 2005–06 से शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए बुनियादी स्तर पर आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ताओं को शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार हेतू प्रशिक्षण तथा जागरूकता प्रदान करना है। जिसके अन्तर्गत राज्य में सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस विषय पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वह माताओं एवं परिवारों को शिशुओं एवं बच्चों की आहार संबंधी आवश्यकताओं बारे जानकारी देकर शिक्षित कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 18.45 लाख रूपये की राशि व्यय की गई ।

13. सर्वोत्तम माता पुरस्कार

विभाग द्वारा महिलाओं को अपने बच्चों, विशेषकर लड़कियों के उचित पालन–पोषण के लिये प्रोत्साहित करने के लिये ''सर्वोतम माता पुरस्कार'' योजना चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड़ तथा सर्कल से तीन ऐसी माताओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चुना जाता है जो अपने बच्चो का उचित पालन–पोषण करती हैं। राज्य सरकार द्वारा खण्ड़ स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 4000/–, 3000/– और 2000/–रू0 तथा सर्कल के स्तर पर क्रमशः 2000/–रू0, 1200/–रू0 और 800/–रू0 के अवार्ड दिये जाते हैं। वर्ष 2016–17 में कुल 3492 माताओं को पुरस्कार दिये गए तथा 81.68 लाख रु0 की राशि आई0सी0डी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत व्यय की गई।

14. महिलाओं के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता

ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के प्रयाप्त अवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए विभाग द्वारा खण्ड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता योजना चलाई गई। 30 वर्ष आयु से ऊपर की महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं में आलू दौड़, मटका दौड़ तथा 100 मीटर दौड़ तथा 30 वर्ष आयु से कम की लड़कियों/महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं में 300 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ तथा 5 कि0मी0 साईकिल दौड़ को शामिल किया गया है। जिनका आयोजन खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर किया जाता है। जो प्रतिभागी जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करते है वे राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जो महिलाएं खण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय स्थान प्राप्त करती है

उनको क्रमशः 750/–रूपये, 1100/–रूपये तथा 2100/–रूपये तथा जो महिलायें जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय स्थान प्राप्त करती हैं उन्हें क्रमशः 2100/–रूपये, 3100/–रूपये तथा 4100/–रूपये तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 4100/–रूपये, 8100/–रूपये तथा 11000/–रूपये की राशि के अवार्ड दिये जाते हैं। राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को 1000 रूपये प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2016–17 में खेल प्रतियोगिता हेतू 3060 पुरस्कार प्रदान किये गये तथा 84.10 लाख रूपये की राशि खर्च की गई

15. घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार

घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिलो को प्रति वर्ष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमशः 5.00 लाख रु0, 3.00 लाख रु0 तथा 2.00 लाख रू0 दिये जाते है। यह धन राशि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के विकास पर खर्च की जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान 2.67 लाख रू0 की राशि का प्रथम पुरस्कार क्रमशः जिला रोहतक, रेवाडी, 2.66 लाख रू0 की राशि का द्वितीय पुरस्कार जीन्द को तथा 2 लाख रू0 की राशि का तृतीय पुरस्कार जिला अम्बाला को दिया गया।

16. महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार

महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विश्वास के निर्माण हेतू विभिन्न क्षेत्रों में अनुसरणीय कार्य करने पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गये। वर्ष 2016–17 में 1.00 लाख रू0 की राशि का कल्पना चावला शौर्य अवार्ड श्रीमति निशा यादव, जिला गुरूग्राम को दिया गया व 1,00 लाख रू0 राशि का बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड श्रीमति गायत्री देवी, जिला फतेहाबाद को, 51,000 हजार रू0 का लाईफ टाईम अचीवमैंट अवार्ड श्रीमति शान्ता जैन, जिला सोनीपत को दिया गया। वर्ष 2016–17 में 26 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करने पर 21,000/–रू0 प्रति महिला पुरस्कार दिये गये।

17. तेजाब से पीडित महिलाओ के लिए राहत तथा पुर्नवास योजना

विभाग द्वारा तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत तथा पुर्नवास योजना चलाई गई। इस योजना के तहत जिला बोर्ड जिसके अध्यक्ष जिला मैजिस्ट्रेट एवं राज्य बोर्ड जिसके अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री है, के माध्यम से उन तेजाब से प्रभावित पीड़ितों को जो हरियाणा के निवासी है, सहायता प्रदान की जाती है। तेजाब हमले से पीड़ित महिला/लड़की के ईलाज पर होने वाला शत–प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 1.00 लाख रू0 की राशि की तदर्थ सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिये जाने का प्रावधान है।

तेजाब पीड़िता का ईलाज सरकारी/हरियाणा सरकार द्वारा नामित अस्पताल में मुफ्त किया जाता है। वर्ष 2016–17 में तेजाब से पीड़ित 3 महिलाओं को 5,48,381/– रूपये की राशि प्रदान की गई ।

18. घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिला सुरक्षा अधिनियम

हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थाने पर महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए गए है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति की गई है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पीडितों को सहायता प्रदान करने के लिये हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैडक्रॉस समितियों, जिला बाल कल्याण परिषदों आदि 30 संगठनों को सेवा प्रदाता

के रूप में पंजीकृत किया गया। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई को संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारियों के प्रशिक्षण एंव क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया। महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष कक्ष की 6 वर्ष की रिपोर्ट और हरियाणा में ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुसंधान अध्ययन'' को दिनांक 9 मार्च, 2016 को माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा विमोचन किया गया।

वर्ष 2016–17 में घरेलू हिंसा के तहत 7208 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 3735 केसों में घरेलू हिंसा रिपोर्ट दर्ज की गई। 524 केसों में पीड़ित महिलाओं के अनुरोध पर न्यायालय में केस दर्ज किये गये, 2437 केसों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया गया तथा गांव, खण्ड व जिला स्तर पर 1002 जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। बाल विवाह से सम्बन्धित 487 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 384 बाल विवाह रूकवाये गये तथा 35 शिकायतों को पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजा गया।

20. कामकाजी महिला छात्रावास

कामकाजी महिलाओं को किफायती दरों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में 10 कामकाजी महिला होस्टल रैडक्रास सोसाइटी, नगरपालिकाओं, संस्थाओं द्वारा फरीदाबाद, हिसार (2), जीन्द, जगाधरी, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक (2) तथा सिरसा में चलाए गये।

21. महिला मण्डलों से सम्बन्धित योजनाएं

महिला मण्डलों से संबंधित योजनाएं महिला मण्डल सम्मेलन योजना, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार, अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम चलाई गई। महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को घर से दूर अन्य राज्यों में ले जाकर महिलाओं से संबंधित आर्थिक उद्योग–धन्धों आदि के बारे में विचार विमर्श करने व मौका प्रदान किया गया। इन महिलाओं को रास्ते में पढ़ने वाले ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया गया। महिला मण्डलों को 5000/– रू0 प्रति महिला मण्डल वित्तिय सहायता दी गई। वर्ष 2016–17 के दौरान अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के लिए 32.76 लाख रू0 की राशि जिला कार्यक्रम अधिकारियों को जारी की गई ।

22. संचार एवं प्रचार

लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने, सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने, महिलाओं तथा बालिकाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए संचार एवं प्रचार के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियां शुरू की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पौषाहार सप्ताह, बाल दिवस व राष्ट्रीय बालिका दिवस एंव राज्य स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता के अवसर पर अखबारों में विज्ञापन देकर एंव विभागीय स्कीमों से संबधित पैम्फलैट एंव बुकलैट छपवाकर महिलाओं एवं बालिकाओं की योजनाओं का प्रचार किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 16.66 लाख रूपये की राशि व्यय की गई।

23. अमला

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के नियन्त्रण में जो योजनाएं हैं, इनके अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले की स्थिति को परिशिष्ट–'ख' पर दर्शाया गया है।

24. चौकसी

वर्ष 2016–17 में चौकसी से सम्बन्धित मामलों की रिर्पोट शून्य है।

25. हरियाणा महिला विकास निगम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं के विकास की गतिविधियों को विकसित करने, जागरूकता कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करने हेतु हरियाणा महिला विकास निगम कार्यरत है। निगम की अधिकृत हिस्सापूंजी 15.00 करोड़ रु0 है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में निगम को प्रशासनिक खर्चा के लिए 321.00 लाख रू0 व्यय की मदो हेतू स्वीकृत किए गये। वर्ष 2016–17 में शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत 609 महिलाओं को तथा व्यक्तिगत ऋण योजना के अन्तर्गत 1475 महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया। वर्ष 2016–17 में सबसीडी के रूप में 250.00 लाख रूपये जारी किये गये ।

(क) बालिका शिक्षा ऋण योजना

राज्य सरकार द्वारा लड़कियों/महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना लागू है जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देश–विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि स्नातक/स्नातकोत्तर/ डाक्टरेट/पोस्ट डाक्टरेट स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किये जाते हैं। जिसमें ब्याज छूट 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में विभिन्न बैंकों द्वारा 437 लाभपात्रों को ऋण छूट जारी की गई तथा 1,10,28,829/– रूपये की राशि खर्च की गई।

(ख) महिला जागरूकता और प्रबंधक अकादमी –'वामा'

राई ;जिला सोनीपतद्ध में आधारभूत महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए महिला जागरूकता और प्रबंधक अकादमी –'वामा' चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था को अपग्रेड करके तर्कसंगत लिंग प्रशिक्षण संस्थान बनाया है जिसमें लिंग संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष के दौरान संस्था द्वारा ओरियनटेशन ट्रेनिंग व 241 सुपरवाईजरों को जॉब प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई। वर्ष 2016–17 में वामा को 20.00 लाख रूपये जारी किए गये ।

26. हरियाणा राज्य महिला आयोग

हरियाणा राज्य में महिलाओं के उत्थान, उनके कानूनों की रक्षा और महिलाओं के लिए कल्याणकारी नीतियों के लिए कार्य करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य महिला आयोग कार्यरत है। इस आयोग को अधिक सशक्त बनाने एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए इसे हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 के अंर्तगत स्थापित करके वैधानिक दर्जा दिया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत एक अध्यक्षा, एक उपाध्यक्ष तथा अधिकतम पांच गैर–सरकारी सदस्यों का राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाने का प्रावधान है जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति से होगा।

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग में अत्याचारों/अपराधों से सम्बन्धित 1299 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों/मीडिया में छपी खबरों पर संज्ञान लिया गया, उनमें से 582 शिकायतों का निपटारा किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 में 42.31 लाख रू0 आयोग को जारी किए गए।

27. हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना व्यय का 50 प्रतिशत तथा चेयरमैन के भत्ते, पी.ओ.एल, आदि के व्यय के लिए शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में समाज कल्याण बोर्ड को 66.00 लाख रु0 की राशि जारी की गई ।

28. विधवा एवं निराश्रित गृह (महिला आश्रम)

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के लिए विधवा एंव निरीक्षित गृह (महिला आश्रम) करनाल व रोहतक में चलाये जा रहे है। इन गृहों में प्रारम्भ में 5 वर्ष एवं विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष का कार्यकाल रिव्यू कमेटी द्वारा बढ़ाया जा सकता है । इन गृहों मे नौजवान विधवा महिलाओं तथा परिव्यक्ता जिनका कमाऊ पुत्र न हो, न ही कोई पुरूष रिश्तेदार सहायता करने वाला हो, को प्रवेश दिया जाता है। ऐसी महिलाओं जिनके पति क्षयः रोग जैसी भंयकर बीमारी से पीड़ित हों अथवा मानसिक रोग से पीड़ित हो तथा कमाने की स्थिति में नही हो और उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई न हो, को भी प्रवेश दिया जाता है। निराश्रित लड़किया जिनका कोई ना हो उनकी शादी या रोजगार मिलने तक जो भी पहले हो, प्रवेश दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जिनका बच्चे 16 वर्ष से कम है, को संस्था मे प्रवेश दिया जाता है। इन गृहों में संवासियों को आवास, शिक्षण–प्रशिक्षण की सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक परिवार वाली संवासी को 600/– रू0 प्रतिमास गुजारा भत्ता व 150/– रू0 प्रतिमास प्रति व्यक्ति कपड़ा भत्ता दिया जाता है। अकेली महिला संवासी को प्रतिमास 700/– रू0 गुजारा एवं 150/– रू0 कपड़ा भत्ता दिया जाता है। संवासियों को गृह के अंतर्गत चलाये जा रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपनी आमदनी में बढ़ौतरी कर सके। शादी योग्य लड़कियों की शादी में 15,000/– रू0 सहायक अनुदान के रूप में दिये जाते है वर्ष 2016–17 में उपरोक्त संस्थाओं में रह रहे सवासियों की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

क्र0सं0	संस्था का नाम	संवासी	आश्रित	कुल
1ण	महिला आश्रम, रोहतक	39	39	78
2ण	महिला आश्रम, करनाल	45	39	84
	कुल	84	78	162

वर्ष 2016–17 में इन संस्थाओं पर कुल 167.98 लाख रू0 खर्च हुए।

29. राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) गृह करनाल

महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा एक राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) गृह करनाल (नारी निकेतन) चलाया जा रहा है। इस संस्था में 18 वर्ष/18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं/लड़कियों को जिन्हें सुधार गृहों से रिहा किया जाता है और उनको नैतिक खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता हो तथा किसी कठिन स्थिति में कोर्ट के माध्यम से प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। इस संस्था में संवासियों को आवास, भोजन, वस्त्र आदि सभी सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है और उसे समाज का अच्छा नागारिक बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जाते हैः–

1. अविवाहित लड़कियों/युवा महिलाओं की योग्य व्यक्तियों के साथ शादी करना।
2. उनके माता–पिता या संरक्षकों के पास वापिस भेजना आदि।
3. विवाह योग्य संवासी के विवाह के समय 15,000/– रू0 की (12,000/– रू0 शादी खर्च व 3000/– रू0 संवासी के नाम अवधि जमा के रूप में) सहायता प्रदान करना।

वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 248 संवासियों को प्रवेश दिया गया। संस्था में प्रतिदिन कोर्ट के माध्यम से संवासी प्रवेश/रिहा किये जाते है। वर्ष 2016–17 में इस योजना पर 44.18 लाख रू0 खर्च किये गये।

विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष (1 नवम्बर 2016 से 1 नवम्बर 2017) में शुरू की गई 5 स्कीमें/योजनाएं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. स्वर्ण जयन्ती बाल आहार उत्पादन केन्द्र

   हरियाणा राज्य में 6 माह से 18 माह तक के बच्चों को सूक्ष्म तत्वों से युक्त पंजीरी प्रदान करने के उद्देश्य से गुड़गांव, पंजीरी प्लांट के परिसर में एक नया अत्याधुनिक स्वचालित पंजीरी प्लांट की स्थापना प्रस्तावित की गई है।

2. स्वर्ण जयन्ती नारी संरक्षण गृह

   बेसहारा लडकियों/महिलाओं की संस्थागत देखभाल, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, रख–रखाव, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 50 संवासियों की क्षमता का एक नया नारी निकेतन जिला फरीदाबाद में कस्तूरबा सेवा सदन के परिसर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3. स्वर्ण जयन्ती बाल सुधार गृह

   कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चे जोकि जे0जे0बोर्ड के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में आते हैं, उनकी जांच प्रक्रिया पूर्ण होने तक देखभाल तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए एक नया बाल सुधार गृह जिला फरीदाबाद में कस्तूरबा सेवा सदन के परिसर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. स्वर्ण जयन्ती महिला पुरूस्कार योजना

   राज्य में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अनुकर्णीय कार्य करने पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला पुरूस्कार योजना प्रस्तावित की गई है।

5. स्वर्ण जयन्ती स्वस्थ्य बचपन योजना (Pilot Scheme)

   जिला अम्बाला में अति कुपोषित बच्चों के स्तर में सुधार के उद्देश्य से एक विशेष योजना जिसके तहत बच्चों के भार के मूल्यांकन के साथ–साथ उनकी आयु अनुसार ऊॅचाई (Mid Arm Circumferences) अनुसार चयनित करके बच्चों के सभी स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार दुरूस्त किये जायेंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों के अभिभावकों को भी समुचित स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा प्रदान की जायेगी।

——————————

DIRECTORATE OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT, HARYANA, CHANDIGARH BUDGET & EXPENDITURE 2016-2017													
		Rs. In lac											
Sr. No.	Name of the Scheme.	Approved Budget 2016-17				Revised Budget 2016-17				Expenditure upto 3/2017			
		State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SOCIAL WELFARE SECTOR												
	I DIRECTION & ADMINSTRATION												
1	Staff for Headquarter	20.00	0.00	595.00	615.00	24.00	0.00	511.60	535.60	22.62	0.00	432.30	454.92
2	Communication & Publicity (Planning-cum-Monitoring Cell) & I.T. Plan..	35.00	0.00	0.00	35.00	25.00	0.00	0.00	25.00	21.38	0.00	0.00	21.38
	Total :	55.00	0.00	595.00	650.00	49.00	0.00	511.60	560.60	44.00	0.00	432.30	476.30
	II. CHILD WELFARE												
3	I.C.D.S.	613.00	0.00	0.00	613.00	613.00	0.00	0.00	613.00	465.42	0.00	0.00	465.42
4	LADLI Rename As Aapki Beti Hamari Beti	9800.00	0.00	0.00	9800.00	11800.00	0.00	0.00	11800.00	11775.37	0.00	0.00	11775.37
5	Improving Infants & Young Child Feeding.	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	18.45	0.00	0.00	18.45
6	Awards for Rural Adolescent Girls/Rename Swaran Jayanti Puraskar Yojana	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	57.86	0.00	0.00	57.86
7	Welfare of Destitute Children services in need of Care & Protection	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	22.92	22.92
8	S.O.S. Children's Village, Rai (Sonepat)	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00
9	State Orphanage	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10	Beti Bachao Beti Padao	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	306.35	0.00	306.35
11	Grant in aid to Voluntary Organisation working in the field of Child Welfare (Juvenile Justice Fund)	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
12	State Commission for Protection of Child Rights	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	31.25	31.25
	Total :	10483.00	1000.00	154.50	11637.50	12483.00	1000.00	141.00	13624.00	12327.10	306.35	119.17	12752.62
		State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total
	III. WOMEN WELFARE												
13	Strengthening of Voluntary Sector (Training-cum-Production Centre & Stipendary Schemes).	1400.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	600.00	0.00	0.00	600.00
14	Construction of Working Women Hostels.	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4.67	4.67
15	Incentive Awards to Mahila Smooh	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	21.36	21.36
16	Gender Sensitization.	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	33.11	0.00	0.00	33.11

17	Distt. & Block Level Staff of Women Wing.	0.00	0.00	14.49	14.49	0.00	0.00	12.64	12.64	0.00	0.00	9.33	9.33
18	Village Convergence and Facilitation Services(VCFS)	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	98.40	0.00	98.40
19	Scheme for setting up One Stop Crises Centre for Women	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	116.48	0.00	116.48	0.00	15.52	0.00	15.52
20	Protection of Women's from Domestic Violence (Setting-up of Cells).	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	91.81	0.00	0.00	91.81
21	Future Security Scheme of Insurance for Anganwadi Workers / Helper.	615.00	0.00	0.00	615.00	617.00	0.00	0.00	617.00	612.82	0.00	0.00	612.82
22	Home-cum-Training Centres for Destitute Women and Widows	0.00	0.00	218.82	218.82	0.00	0.00	172.22	172.22	0.00	0.00	161.73	161.73
23	Setting up of Vocational Training Centres for Women	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.26	0.26
24	Cash dole to outside Dolees / Informaries.	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Maintenance of Home by PWD (B&R).	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	5.99	5.99
26	State After Care Home for Girls, Karnal	0.00	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	46.10	46.10	0.00	0.00	44.18	44.18
27	Home-cum-Vocational Training Production Centres for Young Girls/ Women and Destitute women and widows.(Grant N0.8 B&R)	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Relief & Rehabilitation of women Acid Victims	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	5.85	0.00	0.00	5.85
29	NABARD Loan for construction of AWCs. (4235)	7781.25	2538.75	0.00	10320.00	7781.25	2595.00	0.00	10376.25	5081.92	1988.88	0.00	7070.80
30	Construction of building setting up One Stop Crises Centre for Women Scheme	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	28.22	0.00	28.22
31	Financiing for Rashtriya Swasthiya Bima Yojana (RSBY)	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	IV. OTHER EXPENDITURE					0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
32	Grant-in-aid to Haryana State Social Welfare Advisory Board	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00
33	Haryana Women Development Corporation.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	321.00	321.00
	a) Subsidy	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
34	Haryana State Commission for Women.	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	42.31	42.31
35	Financial Assistance to Women Awarnesss & Management Academy (WAMA).	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	Implementation of JJ Act					0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
36	Juvenile Boards	0.00	0.00	6.19	6.19	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00	3.05	3.05
	Total	10316.25	3533.75	776.85	14626.85	10283.25	2860.48	723.56	13867.29	6701.51	2131.02	679.88	9512.41
	Total : State PlanScheme :	20854.25	4533.75	1526.35	26914.35	22815.25	3860.48	1376.16	28051.89	19072.61	2437.37	1231.35	22741.33
Sr.	Name of the Scheme.	Approved Budget 2016-17				Revised Budget 2016-17				Expenditure upto 3/2017			

No.		State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total
	Sharing basis scheme												
37	ICDS(60:40)	13874.00	20811.00	20000.00	54685.00	11074.00	16611.00	20000.00	47685.00	8865.96	13298.94	19725.71	41890.61
38	Adolescent girls Scheme (Rename Kishori Shakti Yojana.(60:40)	36.40	54.60	0.00	91.00	36.40	54.60	0.00	91.00	16.51	24.76	0.00	41.27
39	Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG) - SABLA(60:40)	68.00	102.00	0.00	170.00	68.00	102.00	0.00	170.00	59.65	89.48	0.00	149.13
40	Setting up of Anganwadi Traning Centres (UDISHA Project) 60:40	200.00	300.00	0.00	500.00	200.00	300.00	0.00	500.00	108.20	162.31	0.00	270.51
41	Remand/Observation Home (4235)	700.00	0.00	218.80	918.80	700.00	0.00	253.12	953.12	250.98	0.00	201.74	452.72
42	State After Care Home -cum-Production unit for Boys (Sonepat)	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00	59.55	59.55	0.00	0.00	57.88	57.88
43	Special Home / School (Ambala)	0.00	0.00	24.85	24.85	0.00	0.00	17.45	17.45	0.00	0.00	11.49	11.49
44	Grant-in-aid to Volluantry Organisation for setting of Juvenile / Observation Homes under JJ Act	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	24.30	24.30
45	ICPS(60:40)	1100.00	1650.00	0.00	2750.00	1100.00	1650.00	0.00	2750.00	929.90	1394.84	0.00	2324.74
46	State Women Empowerment Mission (60:40)	16.00	24.00	0.00	40.00	16.00	24.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Yojna	0.50	0.50	0.00	1.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Swadhar Grah Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	8.73	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total sharing basis Scheme	15994.90	22942.10	20338.15	59275.15	13200.72	18750.83	20357.12	52308.67	10231.20	14970.33	20021.12	45222.65
	Total : Social Welfare sector	36849.15	27475.85	21864.50	86189.50	36015.97	22611.31	21733.28	80360.56	29303.81	17407.70	21252.47	67963.98
	Nutrition Sector												
1	Supplymentary Nutrition Programme (In ICDS).50:50	15125.00	15125.00	245.00	30495.00	8200.00	8200.00	221.97	16621.97	6299.26	6299.26	178.23	12776.75
2	Adolescent girls Scheme (Rename Kishori Shakti Yojana)	474.50	0.00	0.00	474.50	474.50	0.00	0.00	474.50	311.56	0.00	0.00	311.56
3	Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)- Sabla (50:50)	1412.75	1412.75	0.00	2825.50	1412.75	1412.75	0.00	2825.50	492.28	492.28	0.00	984.56
4	Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana(60:40)	1120.00	1680.00	0.00	2800.00	272.80	409.20	0.00	682.00	108.15	162.23	0.00	270.38
5	Scheme for Multi Sectoral Nutrition Programme to address the Maternal and Child Under-Nutrition	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total : Nutrition Sector :	18132.25	18217.75	245.00	36595.00	10360.55	10022.45	221.97	20604.97	7211.25	6953.77	178.23	14343.25
	Grand Total :	54981.40	45693.60	22109.50	122784.50	46376.52	32633.76	21955.25	100965.53	36515.06	24361.47	21430.70	82307.23

महिला एवं बाल विकास निदेशालय की मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों पर 31–3–2017 को अमले की स्थितिः–

क्र. सं.	पद का नाम	मुख्यालय			क्षेत्रीय		
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
	श्रेणी–I						
1	निदेशक, आई0ए0एस0	1	1	–	–	–	–
2	अपर निदेशक	2	2	–	–	–	–
3	सयुंक्त निदेशक	2	1	1	–	–	–
4.	मुख्य लेखा अधिकारी	1	1	–	–	–	–
	श्रेणी–II						
5	उप निदेशक	4	2	2	–	–	–
6	लेखा अधिकारी	2	2	–	–	–	–
7	प्रचार अधिकारी	1	–	1	–	–	–
8	सहायक जिला न्यायवादी	1	1	–	–	–	–
9	कार्यक्रम अधिकारी	3	2	1	21	11	10
10	पोषाहारिका	1	1	–	–	–	–
11	अधीक्षक	5	5	–	21	18	3
12	मैनेजर, पंजीरी प्लांट	–	–	–	2	2	–
13	बाल विकास परियोजना अधिकारी	–	–	–	148	110	38
14	निजी सचिव	1	1	–	–	–	–
	श्रेणी–III						
15	अधीक्षक स्थापना	–	–	–	7	6	1
16	उप–अधीक्षक	5	5	–	–	–	–
17	अनुभाग अधिकारी	2	1	1	–	–	–
18	अनुसंधान अधिकारी	1	1	–	–	–	–
19	सहायक प्रभारी	1	1	–	–	–	–
20	आंकडा सहायक	3	3	–	137	62	75
21	सहायक / लेखाकार	36	31	5	185	171	14
22	सुपरवाईजर	–	–	–	1016	688	328
23	सामान्य सुपरवाईजर	–	–	–	2	1	1
24.	तकनीकी पर्यवेक्षक	–	–	–	4	4	–
25	सुपरवाईजर (होम)	–	–	–	1	–	1
26	वस्त्राकार	–	–	–	3	2	1
27	बुनकर तकनीकी	–	–	–	1	1	–
28	बाटा इन्सट्रक्टर	–	–	–	1	1	–
29	अध्यापक सह सुपरवाईजर बी.ए.बी.एड.	–	–	–	1	1	–

30	चमड़ा तकनीकी	–	–	–	1	–	1
31	अध्यापक बी.ए.बी.एड	–	–	–	2	–	2
32	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	2	2	–	–	–	–
33	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	5	–	5	6	–	6
34	स्टैनों टाईपिस्ट	17	5	12	15	12	3
35	चालक	4	2	2	137	36	101
36	लिपिक	24	8	16	231	130	101
37	ग्राम सेविका	–	–	–	2	2	–
38	हैड वार्डन	–	–	–	3	2	1
39	वार्डन	–	–	–	17	14	3
	श्रेणी–IV						
40	सेवादार	25	10	15	185	75	110
41	चौकीदार	1	1	–	85	34	51
42	स्वीपर–कम–चौकीदार	2	2	–	1	–	1
43	श्रमिक	–	–	–	23	18	5
44	हैल्पर	–	–	–	3	–	3
45	स्वीपर	–	–	–	16	12	4
46	माली	–	–	–	5	3	2
47	रसोईया	–	–	–	9	–	9
48	महिला सह सहायक	–	–	–	3	1	2

....